केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
राजभाषा अनुभाग
कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016.
******

फा.सं. सीईए-एसवाई-27-13/1/2020-राजभाषा/ **दिनांक- 30/03/2022**

विषयः केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 21/03/2022 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक **21/03/2022** को संपन्न तिमाही बैठक का अध्यक्ष, केविप्रा द्वारा अनुमोदित कार्यवृत्त सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है। सभी प्रभागाध्यक्ष/अनुभाग अधिकारियों से अनुरोध है कि कृपया राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संलग्न कार्यवृत्त पर यथोचित कार्रवाई कर इस अनुभाग को अनुपालन रिपोर्ट भिजवाने का कष्ट करें।

(रा.भा.) डा.सं. 166-220 दिनांक 30/3/22 के.वि.प्रा.

30/3/22
(ऊषा वर्मा)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

1. अध्यक्ष, के.वि.प्रा. के निजी सचिव।
2. सभी सदस्य, के.वि.प्रा.।
3. सचिव, के.वि.प्रा.।
4. के.वि.प्रा. की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य।
5. के.वि.प्रा. के सभी अनुभाग/प्रभाग।
6. संयुक्त निदेशक (रा.भा.), विद्युत मंत्रालय, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001.
7. उप निदेशक (कार्यान्वयन), उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-1 तृतीय तल, त्रिकूट-ii, आर.के.पुरम्, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066.

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की
दिनांक 21 मार्च, 2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आरंभ में श्री गौतम रॉय, सदस्य, विद्युत प्रणाली की अध्यक्षता में तदुपरांत श्री बीके आर्य, अध्यक्ष, केविप्रा एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता में दिनांक 21 मार्च 2022 को अपराह्न 4.00 बजे जी-मीट के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में कुल 53 अधिकारियों ने प्रतिभागिता की। बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों/अधिकारियों की सूची अनुबंध में दी गई है।

बैठक के आरंभ में श्री उपेन्द्र कुमार, राजभाषा प्रभारी एवं मुख्य अभियंता, पीसीडी ने बैठक की अध्यक्षता कर रहे केविप्रा के माननीय सदस्य श्री गौतम रॉय, सदस्य, विद्युत प्रणाली तथा विशेष रूप से आमंत्रित श्री पीसी कुरील, प्रधान मुख्य अभियंता-1, श्री सुजित कुमार मंडल, प्रधान मुख्य अभियंता-2, श्री वीके मिश्र, सचिव, केविप्रा और केविप्रा राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से पूर्व बैठक की अनुवर्ती कार्रवाई तथा इस बैठक की कार्यसूची संक्षेप में बताई तथा आगे की चर्चा के लिए डॉ. ओम प्रकाश द्विवेदी, सहायक निदेशक (राजभाषा) को आमंत्रित किया।

मद सं. 1: पिछली बैठक के कार्यवृत्त की विभिन्न मदों की पुष्टि।

सहायक निदेशक (राजभाषा) ने बताया कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक दिनांक 24 दिसंबर, 2021 को जी-मीट के माध्यम से संपन्न हुई थी, जिसका कार्यवृत्त समिति के सभी सदस्यों को दिनांक 17 जनवरी, 2022 को ई-मेल द्वारा इस अनुरोध के साथ भेजा गया था कि बैठक में हुई चर्चा/निर्णयों पर प्रभाग/अनुभाग अनुवर्ती कार्रवाई करने का कष्ट करें। उन्होंने बताया कि एचपीपीआई प्रभाग के अतिरिक्त पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर किसी भी प्रभाग/अनुभाग से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। सहायक निदेशक (राजभाषा) ने अध्यक्ष महोदय से पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि किए जाने का आग्रह किया।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों की सर्वसम्मति से इस संबंध में अपनी सहमति प्रदान की।

मद सं. 2 : केविप्रा की दिनांक 24 दिसंबर, 2021 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई।

I. **केविप्रा के प्रभागों/अनुभागों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्टें समय से राजभाषा अनुभाग को भिजवाना सुनिश्चित करना-** सहायक निदेशक (राजभाषा) ने बताया कि पिछली बैठक में अध्यक्ष महोदय के निर्देश के उपरांत इस दिशा में कुछ सुधार हुआ है। जनवरी, 2022 की 10वीं तारीख तक कुल 31 प्रभागों/अनुभागों की तिमाही रिपोर्टें प्राप्त हो गई थीं, किंतु सभी रिपोर्टें 03 फरवरी, 2022 तक मिल सकीं। केविप्रा के प्रभागों/अनुभागों से 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त तिमाही रिपोर्टें राजभाषा अनुभाग

को प्राप्त होने की तिथियों का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है। राजभाषा प्रभारी ने इस संबंध में अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि विगत तिमाही रिपोर्ट प्राप्त होने की दिशा में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है, जिसे आगे जारी रखने से निर्धारित तिथि तक सभी प्रभागों/अनुभागों की रिपोर्टें मिल सकती हैं। समिति के सभी सदस्यों से आगामी रिपोर्टें समय से भिजवाने का पुनः अनुरोध किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने इस तिमाही में उन प्रभागों/अनुभागों को पत्र लिखकर पूर्व में ही स्मरण कराने के निर्देश दिए जिनकी विगत तिमाही रिपोर्ट विलंब से प्राप्त हुई थी। साथ ही उन्होंने सभी प्रभाग/अनुभाग प्रमुखों को राजभाषा संबंधी तिमाही रिपोर्ट समय से भिजवाने का निर्देश भी दिया।

(कार्रवाई राजभाषा अनुभाग/ केविप्रा के सभी प्रभाग/अनुभाग प्रमुख)

II. **केविप्रा की वेबसाइट को पूर्णत: द्विभाषी किए जाने संबंधी की गई कार्रवाई पर चर्चा-** सहायक निदेशक (राजभाषा) ने बताया कि केविप्रा की हिंदी वेबसाइट के संबंध में उप निदेशक (राजभाषा), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, दिल्ली ने अध्यक्ष, केविप्रा को संबोधित पत्र में मुख्यत: आरटीआई एवं विनियमों के मसौदे संबंधी लिंक में अंग्रेजी सामग्री होने पर आपत्ति दर्ज की है, तथा उसे हिंदी सामग्री से प्रतिस्थापित करने या आवश्यक न हो तो वेबसाइट से हटाने का सुझाव दिया है। उन्होंने आगे कहा कि पिछली दो बैठकों में भी इस संबंध में चर्चा की गई थी तथा अध्यक्ष महोदय ने संबंधित प्रभागों को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।

राजभाषा प्रभारी ने इस विषय में आगे कहा कि परिपत्र एवं अन्य सामग्री के हिंदी रूपांतर, जिसे राजभाषा अनुभाग द्वारा विभिन्न प्रभागों/अनुभागों को जांच करने के उपरांत केविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु भिजवाया गया था, तथा अनुरोध किया गया था कि संबंधित प्रभाग/अनुभाग जांच करने के उपरांत उन्हें वेबसाइट पर अपलोड कराएं, किंतु इस संबंध में कार्रवाई संबंधी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

बैठक में उपस्थित मुख्य अभियंता, विधि प्रभाग ने इस बारे में अवगत कराया कि जहां तक विनियमों के मसौदे का प्रश्न है, दो मसौदे सार्वजनिक सूचना एवं टिप्पणी हेतु वेबसाइट पर 45 दिनों के लिए अपलोड किए गए थे, तथा सामान्यत: मसौदे का हिंदी संस्करण तैयार नहीं किया जाता है। उन्होंने बताया कि 45 दिनों की अवधि पूरी हो चुकी है तथा उन्हें अब वेबसाइट से हटा लिया जाएगा, जिसका प्राधिकार उनके प्रभाग के पास है।

अध्यक्ष महोदय ने विधि प्रभाग तथा अन्य संबंधित प्रभागों/अनुभागों को इस संबंध में यथाशीघ्र समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

(कार्रवाई: विधि प्रभाग/सभी संबंधित प्रभागों/अनुभागों के नोडल अधिकारी)

III. **संसदीय राजभाषा समिति द्वारा केविप्रा के कोलकाता स्थित अधीनस्थ कार्यालय पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति के राजभाषायी निरीक्षण के दौरान केविप्रा मुख्यालय के संबंध में दिए गए सुझाव-** सहायक निदेशक (राजभाषा) ने बताया कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुल 4 अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण किया जाना अपेक्षित था। दिसंबर, 2021 में मुंबई स्थित तीन कार्यालयों का निरीक्षण कर लिया गया है। मार्च माह में चेन्नै स्थित एक कार्यालय के राजभाषायी निरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

इस संबंध में सुश्री ऊषा वर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने कहा कि यात्रा हेतु केविप्रा में फंड की अनुपलब्धता के कारण चेन्नै कार्यालय का भौतिक निरीक्षण करना संभव नहीं होगा, अत: इस कार्यालय का ऑनलाइन निरीक्षण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। राजभाषा प्रभारी ने अवगत कराया कि प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है, अत: इस दिशा में कार्रवाई की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय ने वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कार्यालय का ऑनलाइन निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

(कार्रवाई: राजभाषा अनुभाग)

<u>मद सं. 3</u> : <u>केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रभागों एवं अनुभागों द्वारा किए गए पत्राचार की समीक्षा।</u>

सहायक निदेशक (राजभाषा) ने राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात, हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर, 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने, 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों को भेजे गए मूल पत्रों तथा फाइलों पर हिंदी में कार्य की स्थिति तथा विगत तिमाहियों के तुलनात्मक विश्लेषण से समिति के सदस्यों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि विगत तिमाही (सितंबर, 2021) के दौरान 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र के साथ किए गए मूल पत्राचार का प्रतिशत क्रमश: 96.1, 95.1 एवं 95.7 था, जो अक्टूबर-दिसंबर, 2021 के दौरान क्रमश: 91.3, 89.7 एवं 89.6 रहा है, जिसमें पिछली तिमाही की तुलना में 5-7 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है। उन्होंने आगे कहा कि राजभाषा प्रभारी के अनुमोदन से सभी प्रभाग/अनुभाग प्रमुखों तथा विशेषकर औसत से कम हिंदी में कार्यालयी कार्य-निष्पादन करने वाले प्रभाग/अनुभाग प्रमुखों को कार्यालय ज्ञापन जारी कर हिंदी पत्राचार, टिप्पण आदि में प्रगति करने का पुन: अनुरोध किया गया है।

राजभाषा प्रभारी ने सुझाव दिया कि आंतरिक प्रभागों/अनुभागों के आगामी राजभाषायी निरीक्षण के दौरान मूल हिंदी में औसत से कम कार्य करने वाले प्रभागों/अनुभागों को शामिल किया जाए। सचिव, केविप्रा ने भी उनके नियंत्रणाधीन अनुभागों के निरीक्षण उपरांत निरीक्षणकर्ताओं को इस संबंध में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण करने एवं व्यक्तिगत रूप से फीडबैक देने के निर्देश दिए।

अध्यक्ष महोदय ने उक्त सुझाव पर सहमति व्यक्त की एवं सभी प्रभाग/अनुभाग प्रमुखों से मूल पत्राचार एवं टिप्पण को अधिकाधिक हिंदी/द्विभाषी में करने के लिए अपने अधीनस्थ कार्मिकों को प्रेरित करने का आह्वान किया।

(कार्रवाई: राजभाषा अनुभाग/सभी संबंधित प्रभाग/अनुभाग)

मद सं. 4: हिन्दी कार्यशाला आयोजित करने के संबंध में चर्चा।

सहायक निदेशक (राजभाषा) ने अवगत कराया कि बैठक के उपरांत इस तिमाही हिंदी कार्यशाला में **"31 मार्च को समाप्त तिमाही रिपोर्ट के भाग-2 को भरने में बरती जाने वाली सावधानियां"** विषय पर सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा व्याख्यान दिए जाने का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय ने उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा केविप्रा एवं दिल्ली स्थित इसके अधीनस्थ कार्यालयों के सभी कर्मियों को कार्यशाला में प्रतिभागिता करने का आह्वान किया।

(कार्रवाई: राजभाषा अनुभाग/केविप्रा एवं अधीनस्थ कार्यालयों के सभी अधिकारी/कर्मचारी)

मद सं. 5: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।

I. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सुश्री ऊषा वर्मा, सहायक निदेशक ने पिछली हिंदी कार्यशाला के अतिथि वक्ता के मानदेय के भुगतान को मंत्रालय द्वारा वित्तीय स्वीकृत नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया तथा इस विषय में अनुभाग की वस्तुस्थिति से अवगत कराया। इस संबंध में श्री वीके मिश्र, सचिव, केविप्रा ने सुझाव दिया कि उप सचिव, बजट से चर्चा कर मंत्रालय की आपत्तियों का निराकरण करते हुए पत्रावली पुन: प्रस्तुत की जा सकती है।

(कार्रवाई: राजभाषा अनुभाग)

II. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से राजभाषा प्रभारी ने राजभाषा अनुभाग द्वारा हिंदी वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सचिव, केविप्रा, निदेशक प्रशासन एवं अन्य संबंधित अनुभागों को भेजी गई अनूदित हिंदी सामग्री को अपलोड नहीं किए जाने के बारे में बताया। अध्यक्ष महोदय ने संबंधित अनुभागों के नोडल अधिकारियों को उपलब्ध हिंदी सामग्री को वेबसाइट पर अपलोड करने के निदेश दिए।

(कार्रवाई: सभी संबंधित प्रभाग/अनुभाग)

III. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से राजभाषा प्रभारी ने केविप्रा पुस्तकालय में पुस्तकों के लिए निर्धारित बजट के अनुरूप हिंदी पुस्तकों की खरीद के विषय में एचआरडी प्रभाग को भेजे गए पत्र के बारे में अवगत कराया। बैठक में उपस्थित एचआरडी प्रभाग के प्रतिनिधि श्री अजय आर्य, निदेशक, एचआरडी ने बताया कि बजट एवं वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप हिंदी पुस्तकों के खरीद की प्रक्रिया जारी है।

(कार्रवाई: एचआरडी प्रभाग)

अंत में राजभाषा प्रभारी एवं मुख्य अभियंता, पीसीडी ने अध्यक्ष महोदय, विशेष आमंत्रित सदस्यगण, प्रधान मुख्य अभियंताओं, सचिव, केविप्रा, सदस्य सचिव, एनआरपीसी एवं बैठक में उपस्थित समिति के सभी सदस्यों एवं अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्त हुई।

अनुबंध

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	अधिकारी का नाम श्री/सुश्री/सर्वश्री/श्रीमती	पदनाम एवं प्रभाग/अनुभाग का नाम	राजभाषा कार्यान्वयन समिति
1.	बीके आर्या	अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	अध्यक्ष
2.	जीवी महेन्द्र	सदस्य, ई एंड सी	विशेष आमंत्रित
3.	गौतम रॉय	सदस्य, विद्युत प्रणाली	विशेष आमंत्रित
4.	पीसी कुरील	प्रधान मुख्य अभियंता-1	विशेष आमंत्रित
5.	सुजित कुमार मंडल	प्रधान मुख्य अभियंता-2	विशेष आमंत्रित
6.	नरेश भंडारी	सदस्य सचिव, एनआरपीसी	विशेष आमंत्रित
7.	वीके मिश्रा	सचिव, केविप्रा	सदस्य
8.	उपेंद्र कुमार	मुख्य अभियंता, पीसीडी एवं राजभाषा प्रभारी	सदस्य
9.	अजय तालेगांवकर	मुख्य अभियंता, एफएंडसीए	सदस्य
10.	एके राजपूत	मुख्य अभियंता, आर एण्ड डी	सदस्य
11.	धीरज श्रीवास्तव	मुख्य अभियंता, टीई एण्ड टीडी	सदस्य
12.	हेमंत जैन	मुख्य अभियंता, जीएम	सदस्य
13.	ईशान शरण	मुख्य अभियंता, पीएसपीए-I	सदस्य
14.	जेआर बोडो	मुख्य अभियंता,टीसीडी	सदस्य
15.	जयदीप सिंह बाबा	मुख्य अभियंता, एचपीपी एंड आई	सदस्य
16.	जेएन प्रसाद	मुख्य अभियंता, टीपीई एण्ड सीसी	सदस्य
17.	महीपाल सिंह	मुख्य अभियंता, टीपीपी एंड डी	सदस्य
18.	मनोज त्रिपाठी	मुख्य अभियंता, एचपीएम	सदस्य
19.	प्रदीप सिंह जिंदल	मुख्य अभियंता, आरए	सदस्य
20.	आरसी सिंह	मुख्य अभियंता, लीगल	सदस्य
21.	राकेश गोयल	मुख्य अभियंता, ओपीएम	सदस्य
22.	राकेश कुमार	मुख्य अभियंता, एचई एण्ड टीडी	सदस्य
23.	सीमा सक्सेना	मुख्य अभियंता, एचआरडी	सदस्य
24.	श्रवण कुमार	मुख्य अभियंता, एचपीए	सदस्य
25.	भावना सिंह	डीडीजी, केविप्रा	सदस्य
26.	केबी जगताप	निदेशक, प्रशासन	सदस्य

27.	अजय आर्या	निदेशक, एचआरडी	सदस्य
28.	कमल चौहान	निदेशक, एचईपीआर	सदस्य प्रतिनिधि
29.	राजेश कुमार	निदेशक, टीपीएम	सदस्य प्रतिनिधि
30.	सोवरन सिंह	निदेशक, डीएम	सदस्य प्रतिनिधि
31.	शिव चरन छिरोलिया	निदेशक, एचपीएम	सदस्य प्रतिनिधि
32.	राजीव वार्ष्णेय	निदेशक, एचपीए	सदस्य प्रतिनिधि
33.	आर.के.मित्तल	निदेशक, टीपीएम	सदस्य प्रतिनिधि
34.	किशोर जगताप	निदेशक, टीईटीडी	सदस्य प्रतिनिधि
35.	रंजीत कुमार	उपनिदेशक, टीसीडी	सदस्य प्रतिनिधि
36.	शरद भूपेश	उपनिदेशक, सीईआई	सदस्य प्रतिनिधि
37.	मुकेश कुमार	उप निदेशक, आरटी एण्ड आई	सदस्य प्रतिनिधि
38.	पवन कुमार गुप्ता	उप निदेशक, एफएम	सदस्य प्रतिनिधि
39.	नगमा फुरकान	उप निदेशक, समन्वय	सदस्य प्रतिनिधि
40.	कविता झा	उप निदेशक, डी.एम	सदस्य प्रतिनिधि
41.	अनीता वर्मा	उप निदेशक, ओपीएम	सदस्य प्रतिनिधि
42.	बुद्धवीर सिंह	उप निदेशक, एचपीएम	सदस्य प्रतिनिधि
43.	जलदीप	एएसएम, एचईआरएम	सदस्य प्रतिनिधि
44.	मयंक वाधवा	सहायक निदेशक, पीएसपीए-2	सदस्य प्रतिनिधि
45.	रवि कांत	सहायक निदेशक, पीएसपीएम	सदस्य प्रतिनिधि
46.	अजय देवेदवाल	सहायक निदेशक, आरए	सदस्य प्रतिनिधि
47.	संदीप कुमार	सहायक निदेशक, डीएम	सदस्य प्रतिनिधि
48.	ऊषा वर्मा	सहायक निदेशक (राजभाषा)	राजभाषा
49.	डॉ. ओम प्रकाश द्विवेदी	सहायक निदेशक (राजभाषा)	राजभाषा
50.	अंजल कुमार विनय	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	राजभाषा
51.	विकास कुमार	आशुलिपिक	राजभाषा
52.	विनोद सिंह	आशुलिपिक	राजभाषा
53.	गोविंद कुमार	एमटीएस	राजभाषा